उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
पटेलनगर, देहरादून।
फोन नं. 0135–2728272, ई–मेल. mpr@doiuk.org
पत्रांकः 5362/उ.नि./एम.एस.एम.ई.–2023/2023–24
दिनांकः 07 मार्च, 2024

विज्ञापन

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1145/VII-3-23/04(01)-MSME/2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 के माध्यम से जारी उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले नये सूक्ष्म (MICRO) उद्यमों द्वारा सूचीबद्ध (Empanelled) सलाहकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कराने पर शुल्क के रूप में होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता उद्यमी को दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के क्रम में सूक्ष्म उद्यमों हेतु डी.पी.आर. तैयार कराने के लिये उद्योग निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा इच्छुक सलाहकारों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु आवेदन निम्नवत आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र.स.	विषय	विवरण
1.	**आवेदन का माध्यम**	ऑनलाईन ई–मेल (mpr@doiuk.org) के माध्यम से
2.	**आवेदन प्रारम्भ की तिथि**	दिनांक 07 मार्च, 2024
3.	**आवेदन की अंतिम तिथि**	दिनांक 13 मार्च, 2024 (अपराह्न 04.00 बजे तक)
4.	**आवेदन हेतु योग्यता**	i. सी.ए. (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) अथवा सी.एस. (कम्पनी सेक्रेटरी) की डिग्री प्राप्त व्यक्ति। ii. न्यूनतम 03 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। **नोट**– सी.ए./सी.एस. फर्म भी उक्त हेतु पात्र होंगे।
5.	**आवेदन के साथ दिये जाने वाला विवरण/अभिलेख**	i. आवेदक का नाम ii. पता iii. पंजीकरण संख्या iv. पंजीकरण तिथि v. व्यवहारिक अनुभव अवधि (वर्ष में) vi. ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर vii. आई.सी.ए.आई./आई.सी.एस.आई. द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति
6.	**सूचीबद्ध किये जाने की शर्तें**	i. सूचीबद्ध सलाहकार द्वारा निम्नलिखित अधिकतम दर पर सूक्ष्म उद्यमों हेतु विस्तृत परियोजना रिपार्ट (डी.पी.आर.) उद्यमियों को प्रदान की जा सकेगी–

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>प्रोजेक्ट के संयंत्र व मशीनरी में स्थायी पूंजी निवेश</th><th>अधिकतम शुल्क</th></tr>
<tr><td>रू0 25 लाख तक</td><td>रू0 5 हजार</td></tr>
<tr><td>रू0 50 लाख तक</td><td>रू0 10 हजार</td></tr>
<tr><td>रू0 75 लाख तक</td><td>रू0 15 हजार</td></tr>
<tr><td>रू0 1 करोड़ तक</td><td>रू0 20 हजार</td></tr>
</table>
ii. डी.पी.आर. तैयार कराने के लिये उक्तानुसार निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाना प्रमाणित होने की स्थिति में सम्बंधित सूचीबद्ध सी.ए./सी.एस. को इस सूची से हटा दिया जायेगा।
iii. सम्बंधित उद्यमी द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराने पर उक्तानुसार अधिकतम शुल्क सम्बंधित सी.ए./सी.एस. को बैंक के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। कैश के रूप में किया गया भुगतान उपादान सहायता हेतु पात्र नहीं होगा।
iv. सी.ए./सी.एस. द्वारा उक्त हेतु सम्बंधित उद्यम/उद्यमी के नाम से बीजक अनिवार्य रूप से जारी किया जायेगा।
v. उद्योग निदेशालय द्वारा इस हेतु सी.ए./सी.एस. को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
vi. डी.पी.आर. तैयार कराने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये उद्यमी एवं सी.ए./सी.एस. के मध्य किसी लेन–देन के प्रति उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड उत्तरदायी नहीं होगा।
vii. डी.पी.आर. में उद्यम का पूर्ण विवरण, यथा – उद्यम का नाम व पता, उद्यमी का नाम व पता, पूर्व कार्यानुभव, पूंजी निवेश विवरण, वित्तीय श्रोत, कच्चा माल, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पाद, उत्पादन क्षमता, मार्केटिंग, रोजगार सृजन, न्यूनतम 5 वर्ष का वित्तीय विश्लेषण आदि, का होना अनिवार्य होगा।
</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>सूचीबद्ध किये जाने की अवधि</td>
<td>सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 के लागू रहने की अवधि तक।</td>
</tr>
</table>

(मृत्युंजय सिंह)
संयुक्त निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय, देहरादून।